

प्रेषक,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश

सेवा में,

जिलाधिकारी,
(संलग्न सूची के अनुसार 53 जनपद)
उत्तर प्रदेश ।

पत्रांक :: 2167 / वि०का० / 2010-11

लखनऊ ::

दिनांक :: 15 जुलाई-2010

विषय **वित्तीय वर्ष 2010-11 हेतु स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना(एसजीएसवाई) के अन्तर्गत सामान्य मद अनुदान संख्या-13 से सम्बन्धित राज्यांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बंध में।**

महोदय,

शासनादेश सं०-1239/38-6-2010-76एसजीएसवाई/2009 टीसी-1, दिनांक 12.07.2010 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 में अनुदान संख्या-13 (सामान्य मद) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू० 7400.00 लाख (रू० चौहत्तर करोड़ मात्र) में से विगत वित्तीय वर्ष 2009-10 में दिनांक 30/31 मार्च, 2010 को भारत सरकार द्वारा अवमुक्त की गयी केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश के रूप में रू० 492.59 लाख (रू० चार करोड़ बान्बे लाख उनसठ हजार मात्र) की धनराशि जनपदों को अवमुक्त करने हेतु आयुक्त, ग्राम्य विकास के निस्तारण पर रखी गयी है।

2. योजनान्तर्गत विगत वित्तीय वर्ष 2009-10 में दिनांक 30/31 मार्च, 2010 को भारत सरकार द्वारा जनपदों को अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश के रूप में अनुदान संख्या-13, सामान्य मद के अन्तर्गत शासन द्वारा स्वीकृत उक्त धनराशि रू० 492.59 लाख (रू० चार करोड़ बान्बे लाख उनसठ हजार मात्र) संलग्न विवरण के कालम 3 के अनुसार आपको इस प्रतिबन्ध के साथ आबंटित की जा रही है कि धनराशि का आहरण भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश की सीमा तक ही किया जायेगा।

3. स्वीकृत धनराशि का आहरण केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित परिव्यय की सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।

4. धनराशि के आहरण एवं व्यय में संलग्न शासनादेश में निर्धारित शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5. आवंटित धनराशि में से वांछित धनराशि हेतु मुख्य विकास अधिकारी द्वारा औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर माँग की गयी धनराशि मुख्य विकास अधिकारी को अवमुक्त की जायेगी। राज्यांश का आवंटन योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग अंश की सीमा तक ही किया जायेगा। धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाय एवं धनराशि का व्यय एस०जी०एस०वाई० योजना के अन्तर्गत भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप ही किया जाये। धनराशि के आहरण एवं वितरण के लिए सम्बन्धित जिलों के आहरण वितरण अधिकारी पूर्णतया जिम्मेदार होंगे। यदि कभी भी वित्तीय नियमों का उल्लंघन होता है तो उसकी सूचना आयुक्त, ग्राम्य विकास एवं उ०प्र० शासन को भेजी जाय।

6. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-"2501-ग्राम्य विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-01-समेकित ग्राम्य विकास कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाए-0108- स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना(जिला योजना) (के०75/रा०25-रा०)-27-सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

7. योजनान्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में सामान्य मद अनुदान संख्या-13 में आपके जनपद को अब तक आवंटित की गयी धनराशि का प्रगामी योग संलग्न विवरण के कालम-4 में दर्शाया गया है।
8. जारी किये गये आदेशों की प्रतियाँ भारत सरकार, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उ०प्र० इलाहाबाद, वित्त विभाग, नियोजन विभाग, ग्राम्य विकास अनुभाग-6 तथा इस कार्यालय एवं अन्य सम्बन्धित को पृष्ठांकित की जाय।
9. केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष राज्यांश की अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित करते हुये इसकी एक प्रति इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
10. उक्त आवंटन की प्रविष्टि केन्द्रीय रजिस्टर (आयोजनागत) के पृष्ठ सं० 174 पर कर ली गई है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार

भवदीय,
15/7/20
(संजीव कुमार)
आयुक्त
ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक :: 2107/वि०का०/2010-11 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. सम्बन्धित जनपदों के मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. सम्बन्धित जनपदों के परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
8. वित्त (व्यय- नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त(आय व्ययक) अनुभाग-2।
9. राज्य योजना आयोग-1/2 उ०प्र० शासन।
10. संयुक्त सचिव ग्राम्य विकास अनुभाग-6 उ०प्र० शासन को उनके पत्र सं०-1239/38-6-2010-76 एसजीएसवाई/2009 टीसी-1, दिनांक 12.07.2010 के संदर्भ में।
11. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
12. सम्बन्धित जनपदों के कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
13. उप सचिव (एस०जी०एस०वाई०), भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।

(महेश कुमार अग्निहोत्री)
अवर आयुक्त (लेखा)
ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक : 2107/वि०का०/2010-11


दिनांक : 15 जुलाई, 2010 का संलग्नक

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 2010-11 के लिए अनुदान सं०-13
सामान्य मद में राज्यांश की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति

(धनराशि लाख रू० में)

क्र०सं०	जनपद	अवमुक्त की जा रही धनराशि	प्रगामी योग
1	2	3	4
1	MEERUT	1.28	4.91
2	GHAZIABAD	1.34	5.13
3	BULANDSHAHAR	2.88	11.03
4	BAGPAT	0.74	2.85
5	MUZZAFAR NAGAR	3.70	14.19
6	RAMPUR	4.69	17.99
7	J B F NAGAR	3.41	13.08
8	BAREILLY	9.77	37.48
9	AGRA	4.76	18.26
10	FIROZABAD	2.46	9.43
11	MAINPURI	8.14	31.22
12	ETAH	6.59	17.00
13	HATHRAS	2.38	9.13
14	JHANSI	4.73	18.16
15	JALAUN	9.68	27.81
16	LALITPUR	3.64	13.96
17	BANDA	12.26	31.82
18	HAMIRPUR	5.33	20.45
19	MAHOBA	2.34	8.97
20	CHITRAKOOT	4.55	17.46
21	ALLAHABAD	12.51	65.20
22	FATEHPUR	9.72	37.28
23	KAUSHAMBHI	9.82	37.68
24	KANPUR NAGAR	7.95	30.51
25	KANPUR DEHAT	12.15	46.60
26	ETAWAH	6.17	23.67
27	FURRUKHABAD	6.20	23.79
28	KANNAUJ	4.63	17.78
29	ORRIYA	6.83	26.20
30	VARANSI	5.73	21.97
31	GHAZIPUR	14.15	54.30
32	JAUNPUR	14.64	56.16

state share



पत्रांक : 2107/वि0का0/2010-11


दिनांक : 15 जुलाई, 2010 का संलग्नक

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 2010-11 के लिए अनुदान सं0-13
सामान्य मद में राज्यांश की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0सं0	जनपद	अवमुक्त की जा रही धनराशि	प्रगामी योग
1	2	3	4
33	CHANDAULI	7.62	29.22
34	MIRZAPUR	13.97	53.61
35	SONBHADRA	14.92	57.23
36	LUCKNOW	8.87	34.03
37	UNNAO	19.96	76.59
38	HARDOI	23.29	89.35
39	RAEBAREILLY	21.05	80.75
40	GORAKHPUR	13.91	53.37
41	KUSHINAGAR	17.89	68.66
42	BASTI	11.08	42.50
43	SIDDHARTHA NAGAR	9.49	36.43
44	SANT KABIR NAGAR	8.88	34.06
45	AZAMGARH	13.07	50.16
46	MAU	7.81	29.96
47	BALLIA	12.66	48.59
48	FAIZABAD	9.15	35.08
49	SULTANPUR	19.59	75.14
50	AMBEDKAR NAGAR	12.19	46.76
51	BAHRAICH	21.02	80.62
52	GONDA	14.78	56.70
53	BALRAMPUR	6.22	23.87
State Total ::		492.59	

(रू0 चार करोड़ बान्बे लाख उनसठ हजार मात्र)


(महेश कुमार अग्रवाल)
अपर आयुक्त (लेखा)
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

2622/AC(A)11.

14/7/10.


संख्या-1239/38-6-2010-76एसजीएसवाई/2009टीसी-

प्रेषक:

सीताराम यादव,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ०प्र० लखनऊ।



ग्राम्य विकास अनुभाग-6

लखनऊ: दिनांक: 12 जुलाई, 2010

विषय:- वित्तीय वर्ष 2010-11 हेतु स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अंतर्गत सामान्य मद अनुदान संख्या-13 से संबंधित धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 1554/वि.का./2010 दिनांक 14 मई,

2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अंतर्गत विगत वित्तीय वर्ष 2009-10 में दिनांक 30/31.3.2010 को भारत सरकार द्वारा अवमुक्त की गयी केन्द्रांश की धनराशि रु. 2955.51 के सापेक्ष राज्यांश की मैचिंग धनराशि रु.985.17 लाख की होती है, जिसमें से अनुदान संख्या-13 सामान्य मद में वित्तीय वर्ष 2009-10 की शार्टफाल के रूप में रु.492.59 लाख (रुपये चार करोड़ बयानब्बे लाख उनसठ हजार मात्र) की धनराशि वित्तीय वर्ष 2010-11 में प्रावधानित रु.7400 लाख के सापेक्ष स्वीकृत कर आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश के निवर्तन पर रखे जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) योजनान्तर्गत धनराशि का आहरण केन्द्रांश प्राप्ति के सापेक्ष आवश्यक राज्यांश की सीमा तक किया जायेगा। धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं धनराशि का व्यय स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार

योजनान्तर्गत भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा। धनराशि के आहरण व वितरण के लिये जनपदों के संबंधित अधिकारी यथास्थिति पूर्णतया जिम्मेदार होंगे। यदि कभी भी वित्तीय नियमों का उल्लंघन होता है, तो इसकी सूचना तत्काल आयुक्त ग्राम्य विकास उ.प्र., लखनऊ को प्राप्त करायी जायेगी।

(2) वित्तीय वर्ष 2009-10 का शार्टफाल के रूप में अवमुक्त की जा रही राज्यांश की धनराशि रु.492.59 लाख (रूपये चार करोड़ बयानब्बे लाख उनसठ हजार मात्र) में से, प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष ही जनपदों को तत्काल उपलब्ध करायी जाये, जिससे जिलाधिकारी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष राज्यांश अवमुक्त कर सकें। धनराशि का आहरण जनपदों द्वारा निर्धारित परिव्यय की सीमा के भीतर ही किया जायेगा।

(3) केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाये, जिससे भारत सरकार द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष में धनराशि की कटौती न की जा सके। वर्ष के अन्त में अप्रयुक्त धनराशि समर्पित कर दी जायेगी।

(4) यह धनराशि आहरित/व्यय करने से पूर्व आयुक्त ग्राम्य विकास द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि योजनान्तर्गत निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया गया है।

(5) आयुक्त ग्राम्य विकास द्वारा सुसंगत नियमों/आदेशों तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-951/दस-2010-231/2010 दिनांक 26 मार्च, 2010 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय व्ययक अनुदान संख्या-13 के अंतर्गत स्वीकृत की जाने वाली धनराशि लेखा शीर्षक "2501-ग्राम्य विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-01-समेकित ग्राम्य विकास कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0108-स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (जिला योजना) (के.75/रा. 25-रा.)-27-सब्सिडी" के नामे डाला जायगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ई-2-446/दस-2010 दिनांक 12 जुलाई, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
12-7-10
(सीताराम यादव)
संयुक्त सचिव।

संख्या-1239(1)/38-6-2010-76एसजीएसवाई/2009टीसी-1, तददिनांक
उपर्युक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ.प्र., इलाहाबाद।
2. निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उ.प्र.
4. अपर आयुक्त, लेखा, ग्राम्य विकास विभाग, उ.प्र., लखनऊ।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
6. ग्राम्य विकास अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-3
7. राज्य योजना आयोग-1/2, नियोजन अनुभाग-3
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(राम सेवक)
अनुसचिव।